न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 132/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/500

1. श्री नाना पिता मोती भील निवासी वाडी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता रामा भील निवासी वाडी तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री भगा पिता डुंगा भील निवासी वाडी तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 05.06.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा वाडी पटवार हल्का आमली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 452/1 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हमारी कृषि भूमि की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमाकंन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि प्रार्थी की भूमि की चारो दिशाओ का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करने का आदेश प्रदान करवाया जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 3 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी की जावे।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:15 IST
Reason: SelfAttested

वाडी पटवार हल्का आमली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 452/1 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के मध्य सीमा संबंधि विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा वाडी पटवार हल्का आमली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 452/1 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओ का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:15 IST
Reason: SelfAttested